(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–गुना

PBR/निगरानी/गुना/भू.रा/2017/4824

भवानी सिंह पुत्र श्री पुरूषोतम राजपूत
निवासी–ग्राम कस्बा कुम्भंराज जिला गुना (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला–गुना (म.प्र.)

...... अनावेदक

आज दि. 04.12.17 को प्रस्तुत

4.12.17

6.12.17

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग चांचौडा जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ–68/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / गुना / भू.रा. / 2017 / 4824

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेशिका दिनांक 28–11–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी का यह निष्कर्ष सही है कि आवेदक द्वारा जो बिन्दु उनके समक्ष उठाये गये हैं, उन्हें तहसील न्यायालय में मूल प्रकरण की सुनवाई के दौरान उठाना चाहिए था । एक बार प्रकरण में आदेश होने के बाद उसे अपील में ही चुनौती दी जा सकती है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्तमान कार्यवाही तहसील न्यायालय के आदेश का पालन न करने के संदर्भ में प्रचलित है । उक्त प्रकाश में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	